सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
कार्तिक 22, शुक्रवार, शाके 1942–नवम्बर 13, 2020 *Kartika 22, Friday, Saka 1942–November 13, 2020*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदिA

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अगस्त 25, 2020

संख्या एफ.37/भूउप/2020/311 :-राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 136 का रकबा 08 बीघा का जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अन्तर्गत वर्तमान भू-उपयोग में आवासीय प्रयोजनार्थ से सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक (सैकण्डरी एवं सीनियर स्कूल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 21.05.2020 (राजस्थान पत्रिका) एवं दिनंाक- 21.05.2020 (दैनिक भास्कर) के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 159वीं बैठक दिनांक 28.05.2020 के प्रस्ताव संख्या 11 में रखा जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ से सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक (सैकण्डरी एवं सीनियर स्कूल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उपान्तरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रश्नगत भूमि का पश्चिमी भाग में स्थित 160‘ फीट सड़क हेतु सड़क के मध्य से 80‘ फीट भूमि एवं उत्तरी भाग से लगती हूई सड़क को 80‘ फीट प्रस्तावित करते हुए सड़क के मध्य से 40‘ फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का आवासीय से सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक-राजकीय प्राथमिक विद्यालय) प्रयोजनार्थ सशर्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1554/04 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक- 25 अगस्त, 2020 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

राज्य स्तरीय समिति की आज्ञा से,
अनुज अग्रवाल,
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।